न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04 / 2025   नामांतरकरण अपील

आम जनता साहूपाडा व मोतीपुरा हाल तहसील बांदीकुई जरिये
1. महादेव पुत्र रामकिशन
2. रामकिशोर पुत्र रामनिवास
3. बंशी पुत्र कल्याण
4. गंगासहाय पुत्र रामफूल
5. विश्राम पुत्र रामचन्द्र

समस्त जाति गुर्जर निवासी साहूपाडा व मोतीपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राकेश पुत्र कल्लू जाति सुनार निवासी जैन मंदिर के पीछे बांदीकई जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बांदीकुई दिनांक 02.03.2025 जो नामान्तरकरण संख्या 322 ग्राम मोतीपुरा तहसील बांदीकुई पर पारित किया गया है)

उपस्थिति :—: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री महावीर डोई अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः 27.06.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर 92 ग्राम साहूपाडा से बने हाल खसरा नम्बर 386 / 590 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 387 / 589 रकबा 2.85 हैक्टेयर जो वर्तमान में ग्राम मोतीपुरा में आ गया है। उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता को कभी आवंटन भी नहीं किया गया है, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता को उक्त भूमि का आवंटन हुये बिना उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता कल्लु पुत्र जमना सुनार निवासी बांदीकुई को आवंटन दिनांक 17.05.1964 को दिखाकर और सात वर्ष बाद नामान्तरकरण संख्या 68 भरकर गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दिनांक 13.05.1973 को ग्राम पंचायत ने तस्दीक कर दिया। उक्त आवंटन व नामान्तरकरण बाबत् अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने पर उसके विरूद्ध अपील संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष चल रही है। उक्त भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 322 ग्राम मोतीपुरा बिना कोई जांच किये बिना तहसीलदार बांदीकुई ने दिनांक 02.03.2025 को तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 322 ग्राम मोतीपुरा के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री महावीर डोई उपस्थित आये। अधिवक्ता अपीलान्ट्स को बहस हेतु बार—बार अवसर प्रदान किये जाने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु 1000 / —(अक्षरे एक हजार रुपये) की कॉस्ट पर दस्तावेज पेश करने हेतु पुनः अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अधिवक्ता अपीलान्ट्स की कोस्ट जमा नहीं कराई गई और ना ही दस्तावेज पेश किये गये। अधिवक्ता अपीलान्ट्स को दस्तावेज पेश करने एवं बहस हेतु और आगे अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ऐतराज करने पर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 92 ग्राम साहूपाडा से बने हाल खसरा नम्बर 386/590, खसरा नम्बर 387/589 हाल ग्राम मोतीपुरा पानी के बहाव, नदी के काम की भूमि है। गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण मौके पर कब्जा हुये बिना, कब्जे की जांच किये बिना तस्दीक नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार बसवा ने दिनांक 03.09.2016 को मौका पर्चा बनाकर उक्त भूमि पर आवंटी कल्लुराम पुत्र जमनालाल व इनके वारिसान का कोई कब्जा नहीं होना एवं उक्त भूमि खाली पडी हुई होना जिस पर बडे–बडे पेड खडे हुये होना बताया गया है। उक्त भूमि वन विभाग द्वारा समय–समय पर वन प्लान्टेशन किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी बांदीकुई ने दिनांक 25.03.2014 को पत्र क्रमांक 139 के जरिये लिखित में दिया है कि बाण गंगा नदी के क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वर्ष 1990–91 में पौधारोपण का कार्य किया गया। जिसमे खसरा नम्बर 386/590, 387/589, 387/594 है। इनमें पौधों की स्थिति अच्छी है तथा वर्तमान में हजारों की संख्या में बबूल के पेड खडे है। वन सुरक्षा समिति अच्छा कार्य कर रही है व विभागीय कर्मचारियों द्वारा भी सुरक्षा में सहयोग किया जा रहा है। गैर खातेदारी से खातेदारी का सीधा नामान्तरकरण भरने का पटवारी हल्का को कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बांदीकुई द्वारा बिना कोई जांच किये एवं उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये प्रश्नगत भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने हेतु नामान्तरकरण संख्या 322 दिनांक 02.03.2025 तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 322 दिनांक 02.03.2025 ग्राम मोतीपुरा को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र 14(4) में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये थे। उन्ही तथ्यों को दोहराते हुये यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14(4) का न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 31.01.2025 को निर्णय किया जाकर प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जा चुका है। जिसकी अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त महोदय के यहां पेश किया जाना अपीलान्ट्स द्वारा अपील में स्वीकार किया गया है। प्रार्थना पत्र 14(4) विचाराधीन रहने के कारण आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सके थे। प्रार्थना पत्र 14(4) के निर्णय उपरान्त तहसीलदार बांदीकुई द्वारा आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील में अंकितानुसार तहसीलदार बांदीकुई को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार नहीं होना बताते हुये यह अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को हैरान परेशान करने की नीयत से पेश की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा स्वयं के लिये कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यहां अपील विचाराधीन रहते हुये प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरूद्ध एकपक्षीय मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश भी इस न्यायालय से प्राप्त कर लिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) प्रकरण संख्या 10/2014 उनवानी आम जनता ग्राम साहूपाडा व मोतीपुरा बनाम पुष्पा देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2025 के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील विचाराधीन होने तथा वाद बाहुल्यता की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:46 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official